



Neutral Citation No. - 2026:AHC:179463

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बीएनएसएस के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या

- 8144 वर्ष 2026

अंकित

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : रवींद्र कुमार यादव, संदीप कुमार यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का भी परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 369 सन् 2026, धारा 109(1), 115(2), 351(3), 352, 117(2), 3(5) बी.एन.एस., थाना- सरधना, जनपद- मेरठ

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान मामले में आवेदक को झूठा फंसाया गया है। यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम है, तथापि उसे कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। सूचनादाता अनुज पाल और घायल शुभम ने जांच के दौरान अपने शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि अज्ञात हमलावरों, जिन्होंने अपने चेहरे ढक रखे थे, ने उन पर हमला किया था और सूचनादाता ने ग्रामीणों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर आवेदक तथा अन्य अभियुक्तों के नाम लिए थे। कुछ अन्य साक्षियों ने भी अपने शपथपत्र प्रस्तुत किए हैं। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त दीपक को इस न्यायालय द्वारा आज **आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस के तहत - संख्या 8130 वर्ष 2026** में अग्रिम जमानत प्रदान की गई है।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, तथापि उन्होंने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया है कि सूचनादाता और घायल ने अपने शपथपत्र प्रस्तुत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्तों की सहभागिता से स्पष्ट रूप से इनकार किया है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

6. आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। सूचनादाता और घायल ने नामजद अभियुक्तों को दोषमुक्त करते हुए अपने शपथपत्र प्रस्तुत किए हैं। शपथपत्रों से संकेत मिलता है कि घायलों पर कुछ अज्ञात हमलावरों द्वारा हमला किया गया था, जिन्होंने अपने चेहरे ढक रखे थे। आवेदक का नाम कथित रूप से ग्रामीणों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर शामिल किया गया था। समान

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



स्थिति वाले सह-अभियुक्त दीपक को इस न्यायालय द्वारा आज **आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस के तहत - संख्या 8130 वर्ष 2026** में अग्रिम जमानत प्रदान की गई है।

7. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

8. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक की अग्रिम जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

9. आवेदक-अंकित की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपर्युक्त मुकदमा अपराध में तत्काल अग्रिम जमानत पर इस शर्त पर रिहा किया जाएगा कि वह संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करेगा, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-

i. आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए;

iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएगा;

iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका के निर्णय के उद्देश्य से की गई हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

25 अगस्त, 2026

सचिन

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।